



दिल्ली विकास प्राधिकरण
गोपनीय शाखा

संस्थापना आदेश:- 692

दिनांक: 01/7/2020

विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश के आधार पर वित्त सदस्य, दि.वि.प्रा. निम्नलिखित निजी सहायकों/ग्रेड 'सी' आशुलिपिकों को निजी सचिव के पद पर सातवें वेतन आयोग की संशोधित संरचना में लेवल 8 में (जो कि छठे वेतन आयोग में 9300-34800/-रु के पे बैंड में 4800/-रु के ग्रेड पे था) पदोन्नत करते हैं:-

क्रम सं० / वरि.सं०	नाम व पिता/पति का नाम सर्वश्री/-	तैनाती का वर्तमान स्थान
1/465	एस. सीतारमण सुपुत्र श्री आर. सुन्दरम	आयुक्त एवं उपाध्यक्ष के विशेष कार्यकारी अधिकारी
2/466	श्रीमती मीनू सेठी धर्मपत्नी श्री राकेश पाल सेठी	उद्यान खंड 8
3/467	प्रदीप कुमार गुप्ता सुपुत्र श्री नित्या नन्द गुप्ता	अतिरिक्त आयुक्त (योजना) द्वारका
4/469	श्रीमती मिनाक्षी चुटानी धर्मपत्नी श्री पंकज चुटानी	रोहिणी परियोजना खंड 2

2. यदि उपरोक्त अधिकारियों को ए.सी.पी./एम.ए.सी.पी. स्कीम के अंतर्गत 9300-34800/-रु के वेतन मान में 4800/-रु के ग्रेड पे सहित (छठा वेतन आयोग) (जोकि सातवें वेतन आयोग की संशोधित संरचना में लेवल 8 है) पहले ही वित्तीय अभिवृद्धि प्रदान कर दी गई है, तो उन्हें कोई वित्तीय लाभ की अनुमति नहीं होगी परन्तु उनका वेतन सातवें वेतन आयोग की संशोधित संरचना में लेवल 8 में निर्धारित होगा। यदि पहले वित्तीय लाभ नहीं मिला है तो उनके वेतन का निर्धारण सातवें वेतन आयोग के प्रावधानों के आधार पर निर्धारित होगा। उनके वेतन का निर्धारण एफ.आर.22(1)(क)(1) के प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित किया जाएगा तथा वे इस आदेश के जारी होने के 30 दिन के भीतर एफ.आर.22(1)(क)(1) के प्रावधानों के अनुसार अपने वेतन निर्धारण के विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं।

3. निजी सचिव के पद पर अधिकारियों की पदोन्नति के परिणाम स्वरूप सक्षम अधिकारी, दि.वि.प्रा. नें उनकी तैनाती को निम्नानुसार अनुमोदित किया है :-

क्रम सं० / वरि.सं०	नाम व पिता/पति का नाम सर्वश्री/-	स्थान से	स्थान को
1/465	एस. सीतारमण सुपुत्र श्री आर. सुन्दरम	पदोन्नति पर	सिविल परिमंडल 14
2/466	श्रीमती मीनू सेठी धर्मपत्नी श्री राकेश पाल सेठी	पदोन्नति पर	अतिरिक्त मुख्य वास्तुविद-॥
3/467	प्रदीप कुमार गुप्ता सुपुत्र श्री नित्या नन्द गुप्ता	पदोन्नति पर	अतिरिक्त आयुक्त (योजना) द्वारका
4/469	श्रीमती मिनाक्षी चुटानी धर्मपत्नी श्री पंकज चुटानी	पदोन्नति पर	वरिष्ठ वास्तुविद (पूर्वी क्षेत्र)

4. उन्हें आगे कार्यभार ग्रहण करने की सूचना की एक प्रति उप निदेशक (कार्मिक)-1 को भेजते हुए अपने संबंधित अधिकारी को रिपोर्ट करने का निर्देश दिया जाता है।

(धर्मन्द्र शर्मा)

उप निदेशक (गोपनीय शाखा)

दिनांक:- 01/7/2020

सं०-एफ.10(03)2020/सी.सी./ 405

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. उपाध्यक्ष के विशेष कार्यकारी अधिकारी के निजी सचिव।



-2-

2. वित्त सदस्य, दि.वि.प्रा. के निजी सचिव ।
3. प्रधान आयुक्त (कार्मिक), दि.वि.प्रा. के निजी सचिव ।
4. आयुक्त (कार्मिक), दि.वि.प्रा. के निजी सचिव ।
5. अतिरिक्त आयुक्त (योजना) द्वारका, दि.वि.प्रा. के निजी सचिव ।
6. अतिरिक्त मुख्य वास्तुविद-॥ दि.वि.प्रा. के निजी सचिव ।
7. वरिष्ठ वास्तुविद (पूर्वी क्षेत्र) दि.वि.प्रा.
8. अधीक्षण अभियंता, सिविल परिमंडल 14, दि.वि.प्रा. ।
9. निदेशक (कार्मिक)-1 एवं 2 / सतर्कता 1 एवं 2 / प्रणाली, दि.वि.प्रा.
10. उप निदेशक (कार्मिक)-1 एवं 3 / सतर्कता (प्रशा.)/ आरक्षण कक्ष/ उद्यान खंड 8, दि.वि.प्रा. ।
11. अधिशाषी अभियंता, रोहिणी परियोजना खंड 2, दि.वि.प्रा. ।
12. उप निदेशक (प्रणाली), दि.वि.प्रा. की वेबसाइट पर डालने हेतु (About us->Organisation->Personnel->Promotions 2020)
13. लेखाधिकारी (संस्था) राजपत्रित /अराजपत्रित /योजना/ सम्बंधित (सी.ए.यू), दि.वि.प्रा. ।
14. सहायक निदेशक (कार्मिक)-1 एवं 3 / पी.आई.एम.एस. / गोपनीय कक्ष-2, दि.वि.प्रा. ।
15. उक्त उल्लिखित अधिकारी ।
16. व्यक्तिगत फाइल / संस्थापना आदेश पुस्तिका / गार्ड फाइल ।

(हरीश शर्मा)
सहायक निदेशक